

चेक लिस्ट क्रमांक 32

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010)

आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 343 के कुल कि.मी. 114.800 अम्बिकापुर से रामानुजगंज रोड़ में 2/4 लेन मय पेव्हड शोल्डर सहित मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य 110 कि.मी. में प्रस्तावित है जिसमें 62.700 कि.मी. के बाद 22.670 कि.मी. सेमरसोत अभ्यारण क्षेत्र आता है तत्पश्चात 85.370 कि.मी. के बाद पुनः वनमण्डल बलरामपुर का कार्य क्षेत्र प्रारंभ होता है। सेमरसोत अभ्यारण अंतर्गत 22.670 कि.मी. मार्ग इस प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस तरह प्रस्तावित मार्ग सेमरसोत अभ्यारण से होकर गुजरता है। प्रस्तावित मार्ग अंतर्गत वन परिक्षेत्र राजपुर के ग्राम चांची जो 31.100 से 32.100 कि.मी. तक, ग्राम जिगड़ी जो 54.00 से 55.700 कि.मी. तक, एवं ग्राम अलखडीहा जो 47.300 से 53.800 कि.मी. तक जंगली हाथियों के विचरण क्षेत्र अंतर्गत आता है। इस तरह उक्त मार्ग निर्माण में 03 अंडरपास/ओव्हरपास बनाया जाना प्रस्तावित किया जाता है।


कार्यपालन अभियन्ता
लो.नि.वि., राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग
अम्बिकापुर (छ.ग.)


विवेकानंद झा
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
बलरामपुर वन मण्डल बलरामपुर (छ.ग.)

—:: वचन-पत्र ::—

चेक लिस्ट क्रमांक-32 " प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है, अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2, दिनांक 12.01.2010) के संबंध में वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव के अंतर्गत हाथी विचरण क्षेत्र होने के कारण वनविभाग द्वारा चिन्हांकित स्थानों पर 03 नग अंडरपास/ओव्हरपास निर्माण कराये जाने हेतु आवेदक संस्थान पालनार्थ वचनबद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
लो0नि0वि0रा0रा0संभाग
अम्बिकापुर


विवेकानन्द झा
(भा.व.से)
वन मण्डलाधिकारी
बलरामपुर वन मण्डल, बलरामपुर

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर (छ0ग0)

☎07831-273091, 273092 (Office) 273093 (fax) email :- dfobalrampur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./2023/34

बलरामपुर दिनांक/03/01/2023

प्रति,

वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)

सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर,

जिला सरगुजा (छ0ग0)

विषय :- बलरामपुर जिले के बलरामपुर तथा सरगुजा जिले के दक्षिण सरगुजा (सरगुजा) वनमण्डल अंतर्गत वनसंरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Widening of existing road from Ambikapur to Ramanujganj 2 lane/4 lane National Highway 343, in the State of Chhattisgarh हेतु क्षेत्रफल 104.427 हे. (102.324 हे.) बावत्

संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ0ग0 रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/ विविध/एल.एम.-115-845/02 रायपुर, दिनांक 02.01.2022

-00-

विषयांतर्गत आवेदक संस्थान कार्यपाल अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर द्वारा छ0ग0 प्रस्तावित Widening of existing road from Ambikapur to Ramanujganj 2 lane/4 lane National Highway 343, in the State of Chhattisgarh अंतर्गत मार्ग का चौड़ीकरण/ उन्नयनीकरण 110 कि.मी. में प्रस्तावित है। जिसमें 62.700 कि.मी. के बाद 22.670 कि.मी. सेमरसोत अभ्यारण क्षेत्र आता है तत्पश्चात 85.370 कि.मी. के बाद पुनः वनमण्डल बलरामपुर का कार्य क्षेत्र प्रारंभ होता है। संस्थान द्वारा सेमरसोत अभ्यारण अंतर्गत 22.670 कि.मी. छोड़ कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान अनुसार प्रत्यावर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकृति हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया गया है जिसमें सदर्थित पत्र से प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत प्राप्त करने हेतु लेख किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अपना अभिमत उचित माध्यम से प्रदाय करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

पृ. क्रमांक/मा.चि./2022/35

बलरामपुर दिनांक/03/01/2022

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (एलिफेण्ट रिजर्व) अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर